कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक–1089 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–3

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग के धारीगावं होते हुए अमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।** (प्रस्ताव संख्याः– FP/UK/ROAD/13166/2015)

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 1042/X-4-15/1(449)/2015 दिनांक 03–11–2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 463/12–1 दिनांक 04–09–2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आँख्या इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र० सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओ रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारत संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 312/12–1 दिनांक 22–08–2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दानों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 8,00,000.00 (आठ लाख) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है। **(संलग्नक–1)**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार की पत्र सं० 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 312/12–1 दिनांक 22–08–2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि रु0 4,36,248.00 (चार लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत

	वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि रु0 2,31,211.00 (दो लाख इकत्तीस हजार ग्यारह) मात्र की धनराशि UTR No. SBIN524183813399 दिनांक 29–06–2024 से जमा की गई है **(संलग्नक–2)**
4.	भारत सरकार की पत्र सं० 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूरक पौधरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी०जी०ओ० कॉपलैक्स फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की पत्र सं० 5–3/ 2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन०पी०वी० आंकलित कर जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार की पत्र सं० 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूरक पौधरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी०जी०ओ० कॉपलैक्स फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं 04 एवं 05 के अनुपालन में अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान मय UTR No. SBIN524183813399 दिनांक 29–06–2024 द्वारा कर दिया गया है।

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक केसुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद कार्यवल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
7.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकर सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्त सं0–07 के अनुपालन में शर्त मान्य है।
8.	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम –2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**
9.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्तो का अनुपालन किया जाएगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी एवं प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करना चाहें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1089 **/12–1** तददिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 463 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, ~~अगस्त~~ 04/09 ,2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– अपर सचिव उत्तराखण्ड **शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 की पत्र सं0–1042/X-4-15/1(449)/2015 दिनांक 03.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 312/12–1 दिनॉक 22.08.2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् इस कार्यालय को प्रेषित की गई है–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 312/12–1 दिनॉक 22.08.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 800000.00 (आठ लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 436248.00 (चार लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 231211.00 मात्र की धनराशि UTR NO. SBIN524183813399 दि0 29.06.2024 से जमा की गई है। **(संलग्नक–2)**
4	भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा स0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 आंकलित कर जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0–04 व 05 के अनुपालन में अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान मय UTR NO. SBIN524183813399 दि0 29.06.2024 द्वारा कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद कार्यबल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्त सं0–07 के अनुपालन में शर्त मान्य है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम– 2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / **दिनॉक**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

|| कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ||
Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfosspauri@yahoo.com, dfoesgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :– 312 /12–1 ,पौड़ी, दिनांक, 22 अगस्त, 2024,

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–184/12–1 दिनांक 25–07–2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण की सैद्धान्ति स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

प्रश्न	उत्तर
1– **शर्त सं0–1–** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास/ मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0–1– के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा स्थल के आस–पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 800000.00 (आठ लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है **(संलग्नक चालान)**
2– शर्त **सं0–2–** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0–2– के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 436248.00 (चार लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। **(संलग्नक चालान)**
3– शर्त **सं0–3–** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त सं0–03–इस कार्यालय की पत्र संख्या– 2157 /12–1 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 231211.00 मात्र का भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा UTR NO.SBIN524183813399 दि0 29.06.2024 से जमा किया गया है। **(संलग्नक चालान)**
4– **शर्त सं0–4–** भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रवन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में जमा की जायेगी।	शर्त सं0–3 का अनुपालन प्रमाण–पत्र संलग्न है।

letter land transfer

5– शर्त सं0–5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त सं0–04 व 05 के अनुपालन में अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान मय UTR NO. SBIN524183813399 दि0 29.06.2024 द्वारा कर दिया गया है।
6– शर्त सं0–6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त सं0–06 के अनुपालन में जनपद कार्यवलकी संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
7– शर्त सं0–7– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त सं0–07 के अनुपालन में शर्त मान्य है।
8– शर्त सं0–8– प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम– 2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	शर्त सं0–08 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है।
9– शर्त सं0–9– उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त सं0–09 के अनुपालन में शर्तों का पालन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शिशुपाल सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौडी।

Rediffmail

Mailbox of eepwdsrinagar@rediffmail.com

Print | Cancel

From: <monitoring-fc@nic.in>

To: <eepwdsrinagar@rediffmail.com>

Subject: **Email Alert of CL Payment**

Date: Thu, 10 Mar 2016 17:33:17 IST

Cc: <monitoring-fc@nic.in>

Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No	FP/UK/ROAD/13166/2015
Application No	ROAD131662015002
Proposal Name	Construction of Motor Road up to Amdhar from Kwisu Sumari Motor Road via Dharigaon under Srinagar Constituency in District Pauri.
Category	Road
Submission Date	09 Jun 2015
Area Applied	0.664
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	45019
Transaction Date	10 Mar 2016
Payment Amount(in Rs.)	1497833/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	Corporation Bank (Challan)

Funds Demand Details
Compensatory Afforestation : Rs. 2615857/-

Afforestation	:	Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	:	Rs. 0/-
Safety Zone	:	Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	:	Rs. 0/-
Net Present Value	:	Rs. 436248/-
plantation on roadside/nearby place	:	Rs. 800000/-
Total Amount	:	Rs. 1497833/-

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Print Cancel

(2)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6113166927
MoEF/SG File No.	1(449)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar GarhwalPauri Garhwal
Amount(in Rs)	231211/-

Amount In Words :Two Lakh Thirty-One Thousand Two Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896113166927 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through c even after 7 working days, then kindly mail a copy id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurs ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN524183813399

अधिश
निर्माण ख
श्रीन

बिन्दु सं0 -02
शर्त सं0-02

मार्ग का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

3

बिन्दु सं0–06
शर्त सं0–06

मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये अमधार मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यवल की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के द्वारा दिये गये सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(4)

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No. 454 /26 प्रशा० ग्रा०(स्था०प्रशा० 2014-15 Dated 30-4-15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.664 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Dharigaun to Amdhar Motor Road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 Km) in Pauri Distirct** district falls with in jurisdiction of **Dharigaun**village (s) in **Srinagar** tehsils.

It is further certified that :

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.664 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure01 toannexure02.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

26.4.15

(ChandraShekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector
Garhwal

Annexure-II

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No. 454/26-प्रशा० अधि० (स्था० प्रशा०) 2014-15 Dated 30-4-15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **0.664 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Dharigaun to Amdhar Motor Road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 Km) in Pauri Distirct** falls within jurisdiction of **Dharigaun** village (s) in **Srinagar** tehsils.

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.664 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01To annexure 02**

(b) The proposals for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.

(c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Dharigaun** villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their Consent to it.

(f) The rights of primitive drivel groups and Pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

28.4.15
(ChandraShekhar Bhatt)
District Collector Garhwal
DM/Collector
Garhwal

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

It further Certified that minutes of meeting of construction of Dharigaun to Andhar motor road Quisu-Sumari Motor Road (4.00 km) regarding FRA is as following

S.No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out fir the entire 0.664 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the fores rights committee (s), Sub Division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Deviersion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been givenconsent to it.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Bord
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

Divisional Forest OFFICER
Pauri Garhwal

28.1.15

Executive Engineer
CD, PWD Srinagar
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

District Collector Garhwal
DM/Collector
Garhwal

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditonal forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006

A meeting of the district level committee of Garhwal constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Chandra Shekher Bhatt I.A.S. deputy commissioner, Garhwal on ---28-01-2015------- at ---11:30------ A.M. at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 0.664 Hect for the construction of Dharigaun to Amdhar motor road Quisu-Sumari Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Pauri Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommends the above case for diversion of Land for the said purpose.

Place---PAURI---

Date---28-01-2015---

28.1.15
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
DM/Collector
Garhwal

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढवाल)

दिनांक 28.1.15 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1.	सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, गढ़वाल	अध्यक्ष।
2.	श्री एल0एस0 रावत,	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी	सदस्य।
3.	श्री रतन सिंह रावल,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4.	श्री प्रकाश बुटोला	जिला पंचायत सदस्य, खिर्सू	सदस्य।

बताया गया है कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में** क्वीसू–सुमाड़ी **मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्ग हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है। मार्ग का विवरण निम्नवत है :–

1– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण :–इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग के धरीगांव नामक स्थान से आरम्भ होता है एवं ग्राम तरूली की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। इस मार्ग में 738.00 मी0 सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम धरिगांव, तरूली, बछेली की कुल 349 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पि मार्ग नहीं है, और ना ही प्रस्तावित है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में **क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग** का निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित भूमि **0.664 हे0** लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

28.4.15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

पत्रांक 1016 /28सी0 दिनांक- 01/05/2015

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

1/5/15
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम धरिगांव
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.664 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.664 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....धरिगांव..........द्वारा दि0 11.11.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......धरिगांव........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य
ह0/– वि0 ख0 खिर्सू
ग्राम सचिव पौड़ी गढ़वाल

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत......
वि0ख0......

स्थान
दिनांक
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रारूप-30.4

दिनांक 11.11.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धरिगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	
	मस्तान सिंह	
	सत्यप्रसाद नौटियाल	[signature]
	सुभाष चन्द्र नौटियाल	[signature]
	दीपक नौटियाल	[signature]
	बद्री प्रसाद	[signature]
		[signature]
	सुनील प्रसाद नौटियाल	
	आशुतोष नौटियाल	[signature]
	दुर्गा प्रसाद नौटियाल	[signature]
	मोहन लाल नौटियाल	[signature]
	शान्ति प्रसाद नौटियाल	[signature]
	गोविन्द प्रसाद नौटियाल	[signature]
	चन्द्र... नौटियाल	[signature]
	किशोरीलाल नौटियाल	[signature]
	ललिता प्रसाद नौटियाल	ललिता प्रसाद
	वासवानन्द नौटियाल	[signature]
	भगवती प्रसाद	[signature]
	[signature]	
	उमेश चन्द्र नौटियाल	[signature]

छाया प्रति प्रमाणित

[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[signature]
प्रशासनिक अधिकारी
ग्राम पंचायत ...धरिगांव
विकासखण्ड ...कीर्तिनगर

प्रा64 - 30.2

परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्वीसू—सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड **उपवनप्रभाग पौड़ी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद **पौड़ी** गढ़वाल में **क्वीसू—सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार** तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 3. 0.664 हे0 सिविल एव सोयम वन भूमि **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.664 हे0** वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की **दि0 11.11.2014** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री रज्जा अब्बास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3—	श्री [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4—	श्री [illegible] भण्डारी	बी0डी0सी0 क्षेत्र / ग्रा0प0वि0अ0	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में **क्वीसू—सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु **शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि **0.664 हे0 सिविल भूमि** का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **पौड़ी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वार अनापत्ति जारी की जा सकती है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पौड़ी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पौड़ी गढ़वाल में चौसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरिगांव होते हुये अमधार तक** मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु **0.664 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय [redacted] समिति
तहसील– श्रीनगर [redacted]
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
[redacted]
तहसील– श्रीनगर
[redacted]
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सरणा (17)
वि0 ख0 खिर्सू
पौड़ी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत
स्थान
दिनांक
वि0 ख0 खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल

ग्रा0पं0वि0 अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0ख0 ... गढ़वाल

एस0के0 ... क0वि0अ0सह
... खिर्सू

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)